

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/86/2000

तारीख रजु 22.05.2000

### उनवान

1 घनश्याम पुत्र झम्मन जाति माली वगै० निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—वादीगण(04)

### बनाम

1 जौहरी पुत्र गौरधन जाति माली वगै० निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण(08)

### उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रमेश चंद गुप्ता एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट


### निर्णय

दिनांक 24.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् डिविजन ऑफ होल्डिंग हुक्मइम्तनाई दवामी स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन के खसरा न. 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2601, 2602, 2607 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 86/2000 घनश्याम बनाम जौहरी अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

